भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3422
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य और अनाज की बर्बादी

†3422. श्री अबू ताहेर खानः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में विशेष रूप से खरीद, भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण के चरणों में खाद्य और अनाज की बर्बादी की मात्रा का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और वस्तु-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या अपर्याप्त भंडारण अवसंरचना, आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी और फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों के कारण इस प्रकार की बर्बादी का मुख्य कारण है और यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, शीत श्रृंखलाओं और मूल्यवर्धन पहलों के माध्यम से इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार का आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, विकेन्द्रीकृत भंडारण और किसान स्तरीय प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देकर खाद्य और अनाज की बर्बादी को कम करने के लिए योजनाएं शुरू करने या विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्राथमिक सर्वेक्षणों पर आधारित अध्ययनों के माध्यम से देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए समय-समय पर फसलोत्तर नुकसान का अनुमान लगाता है। मंत्रालय द्वारा (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) – **सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी** (सिफेट), 2015 संदर्भ वर्ष 2012-14 और (ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नाबकोंस), 2022 संदर्भ वर्ष 2020-22 के माध्यम से दो अध्ययन कराए गए थे फसलोत्तर नुकसान पर उपलब्ध अध्ययन आवधिक प्रकृति के हैं और वर्ष-वार अनुमान प्रदान नहीं करते हैं।

नाबकोंस द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार, अनाज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों के फसलोतर नुकसान का वस्तुवार अनुमान निम्नलिखित है:

	फसलें	**धान**	**गेहूँ**	**मक्का**	**बाजरा**	**ज्वार**
कृषि कार्य	कटाई	1.42	1.44	0.9	0.97	1.55
	संग्रहण	0.42	0.33	0.37	0.29	0.33
	थ्रेशिंग	0.97	1.05	1.2	1.13	1.8
	फटकना/सफाई	0.4	0.34	0.19	0.16	0.35
	सुखाना	0.33	0.05	0.16	0.22	0.1
	पैकेजिंग	0.13	0.01	0.11	0.25	0.25
	भंडारण	0.4	0.29	0.17	0.31	0.23
	परिवहन	0.1	0.1	0.12	0.26	0.13
	कृषि कार्यों में कुल नुकसान	4.16	3.61	3.22	3.59	4.75
बाजार स्तर का आकलन	गोदाम	0.06	0.02	0.003	0.13	0.05
	थोक विक्रेता	0.23	0.13	0.29	0.12	0.76
	रिटेलर्स	0.03	0.05	0.14	0.07	0.16

	प्रसंस्करण इकाई	0.16	0.28	0.09	0.13	0.02
	परिवहन	0.12	0.08	0.14	0.32	0.19
	बाजार स्तर पर कुल नुकसान	0.61	0.56	0.67	0.78	1.17
समग्र कुल नुकसान		**4.77**	**4.17**	**3.89**	**4.37**	**5.92**

स्रोत: नाबकोंस अध्ययन वर्ष 2022

(ख): उपलब्ध आकलन रिपोर्टों के अनुसार, अपर्याप्त भंडारण अवसंरचना और आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव फसलोत्तर नुकसान के प्रमुख कारकों में से कुछ हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता के निर्माण और विस्तार का समर्थन करता है, जिसमें खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण शामिल है, ताकि फसलोत्तर नुकसान को कम किया जा सके और प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाया जा सके। एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

एमओएफपीआई वर्ष 2016-17 से फसलोत्तर अवसंरचना और प्रसंस्करण क्षमता के निर्माण हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र अंब्रेला योजना पीएमकेएसवाई लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं हैं: (i) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना, (ii) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना सृजन, (iii) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार, (iv) ऑपरेशन ग्रीन्स, (v) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (एफटीएल), (vi) मानव संसाधन एवं संस्थान - अनुसंधान एवं विकास, (vii) मेगा फूड पार्क (यह घटक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है, केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रावधान के साथ) और (viii) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस सृजन (यह घटक 1 अप्रैल 2021 से बंद कर दिया गया है)। एमओएफपीआई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र आवेदकों को अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है और दिसंबर 2025 तक पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1607 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1196 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

एमओएफपीआई वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए ₹10,900 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय के साथ पीएलआईएसएफपीआई योजना को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण क्षेत्र के अग्रणी निर्माताओं के निर्माण में सहयोग करना और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों को समर्थन देना है। 31 दिसंबर, 2025 तक, इस योजना के अंतर्गत 169 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें लाभार्थियों ने ₹9,207 करोड़ के निवेश की जानकारी दी है और ₹2,162.55 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना या उन्नयन के लिए व्यापक सहायता प्रदान करने हेतु पीएमएफएमई योजना के माध्यम से सहायता दी जाती है। 31 दिसंबर 2025 तक, बैंकों को 4,04,062 आवेदन भेजे जा चुके हैं और 1,72,707 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें सावधि ऋण की राशि 14.19 हजार करोड़ रुपये है। 3,74,819 महिला एसएचजी सदस्यों के लिए 1277.45 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 693 मास्टर ट्रेनर, 1,312 जिला स्तरीय ट्रेनर और 1,36,723 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल है। इससे किसानों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है और कृषि उपज से होने वाली लाभप्रदता में वृद्धि होती है। इस योजना ने सूक्ष्म स्तर (किसानों और कोल्ड चेन मालिकों) पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति, मूल्यवर्धन और अपव्यय में कमी आदि के माध्यम से आय में वृद्धि हुई है।

(ग): एमओएफपीआई द्वारा अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। हालांकि, मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समय-समय पर विभिन्न नीतिगत उपायों और योजनाओं की समीक्षा करता रहता है।

*****